	राजस्व निरक्षक (कार्यालय) के प्रत्येक तहसील में 3 नये पद सृजित होने चाहिये तथा नवसृजित जनपदों एवं नवसृजित तहसीलों की आवश्यकता अनुसार राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) के नये पद भी सृजित किये जाये।	निरीक्षक के पदों में वृद्धि किये जाने के संबंध में 1:5 के अनुसार पद वृद्धि हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का मा0 परिषद द्वारा निर्णय लिया गया।
(ग)	संग्रह अमीन का 18 प्रतिशत का राजस्व निरीक्षक प्रोन्नति का कोटा समाप्त कर पूर्व की भाँति लेखपाल संवर्ग को आवंटित किया जाये।	सम्यक विचारोपरान्त संग्रह अमीन सम्वर्ग का कोटा यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया।
(घ)	राजस्व निरीक्षक के सीधी भर्ती के 25 प्रतिशत पद दिनांक 27.10.2014 को मा0 मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासन की सहमति के अनुसार लेखपाल संवर्ग से विभागीय परीक्षा के द्वारा भरे जायें।	राजस्व निरीक्षक के पद पर अनुभव की आवश्यक्ता एवं लेखपाल से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के अवसर कम होने व पदोन्नति में Stagnation के दृष्टिगत सीधी भर्ती का 25 प्रतिशत कोटा भविष्य में समाप्त करके पोषक सम्वर्ग **लेखपाल** को दिये जाने हेतु मत स्थिर किया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (राजस्व निरीक्षक)सेवा नियमावली 2011 में लेखपालों का राजस्व निरीक्षक पद पर प्रोन्नति कोटा 94 प्रतिशत नियत था किन्तु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली 2014 में राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति में 55 प्रतिशत लेखपाल सम्वर्ग से , 18 प्रतिशत संग्रह अमीन, 02 प्रतिशत भू–अर्जन अमीन तथा 25 प्रतिशत सीधी भर्ती का कोटा नियत किया गया है फलस्वरूप वर्तमान में लेखपाल सम्वर्ग से राजस्व निरीक्षक सम्वर्ग पर पदोन्नति के अवसर में कमी आयी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सीधी भर्ती के 25 प्रतिशत पदों पर भी लेखपाल सम्वर्ग से ही पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा। इस प्रकार सीधी भर्ती के 25 प्रतिशत पदों को समाप्त करते हुये राजस्व निरीक्षक के कुल 80 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
(ङ)	दिनांक 20.01.2016 में निर्गत राजस्व निरीक्षक प्रोन्नति की सूची में हुई त्रुटि को दूर करते हुए पूर्व से तैयार कोटिक्रम सूची में अंकित प्रशिक्षण वर्ष एवं प्रशिक्षण उपरान्त नियुक्ति तिथि के अनुसार छूटे हुए पात्र लेखपालों सहित राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों के लिए प्रोन्नति सूची तत्काल निर्गत की जाये।	बैठक में अवगत कराया गया कि उक्त के संबंध में परिषदादेश संख्या 1558/4–8 एफ/2014, दिनांक 14 मार्च 2016 द्वारा समस्त जिलाधिकारी से प्रोन्नति से वंचित रहे लेखपालों की सूचना मांगी गयी है। जनपदों से सूचना शीध्र प्राप्त करते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये।
(च)	नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु नायब तहसीलदार पदोन्नति के पदों में 17.02. 2014 को प्रख्यापित उ0प्र0 अधीनस्थ कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा (द्वितीय	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) द्वितीय संशोधन नियमावली 2014 में प्राविधानित नायब तहसीलदारों के पदों पर पदोन्नति हेतु राजस्व निरीक्षक एवं रजिस्ट्रार